पश्चिम रेलवे

पी.एस.सं.28/2011 प्रधान कार्यालय,
चर्चगेट, मुंबई.

सं.ई पी 839/0 भाग-IV दि. 22-02-2011

सभी मं.रे.प्र. /मु.का.प्र. और यूनिट इनचार्ज .

प्रति : महामंत्री- प.रे.ए.यू.-ग्रांटरोड/प.रे.म.सं.-मुंबई सेंट्रल.
प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया अ.जा./अ.ज.जा.रेल कर्म.. एसो. 'वेस्ट' झोन,मुंबई .
प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेल कर्मचारी एसोसिएशन , मुंबई.

विषय : कम्प्यूटरों पर टंकण परीक्षा आयोजित करने संबंधी प्रक्रिया ।

****

रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 04.02.2011 के पत्र सं.ई (एनजी)I/2004/सीएफपी/8 (आर बी ई सं..19/2011) की प्रति आपके सूचना, मार्गदर्शन व आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्ने उद्धृत की जाती है ।

संलग्न : यथोक्त

(एस कदेमणी)
कृते महाप्रबंधक (स्था)

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को तथा अन्यों को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र दि. 04.02.2011 के पत्र सं.ई (एनजी)I/2004/सीएफपी/8 (आर बी ई सं..19/2011) की प्रतिलिपि ।

विषय : कम्प्यूटरों पर टंकण परीक्षा आयोजित करने संबंधी प्रक्रिया ।

इस मंत्रालय के दिनांक 04.07.2005 के समसंख्यक पत्र के अनुसार, कर्मचारी की लिपिक वर्गीय संवर्ग में ग्रुप 'डी' (जिन्हें अब रु.1800/ के ग्रेड पे में ग्रुप 'सी' में रखा गया है) से ग्रुप 'सी' में पदोन्नति होने और एलडीसीई/ ग्रेजुएट कोटे के अंतर्गत लिपिकों की वरिष्ठ लिपिकों के रूप में पदोन्नति होने पर पर्सनल कम्प्यूटरों (पी सी एस) पर अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट (डब्ल्यूपीएम) अथवा हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट (डब्ल्यूपीएम) की गति से टंकण संबंधी कुशलता की जांच की जानी अपेक्षित होती है जिसके लिए टाइप किए गए मैटर में गलतियों को

टंकन करने के लिए स्पेलचेकिंग टूल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए । यह भी विनिश्चय किया गया था कि कंप्यूटरों पर टंकण संबंधी परीक्षा आयोजित करने में कठिनाई होने पर टाइपराइटरों पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा आयोजित करने की मौजूदा प्रक्रिया लागू रहेगी ।

2. उन उम्मीदवारों, जिनकी भर्ती रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से सीधे ओपन मार्केट से की जाती है, के लिए टंकण परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में किए जाने वाले कुछ आशोधनों और एक रेलवे द्वारा की गई मांग के अनुसार, प्रमोटियों के लिए टंकण परीक्षा आयोजित करने में इन आशोधनों को अपनाना अनुभव के आधार पर भी आवश्यक समझा गया है। तद्नुसार, बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के उपर्युक्त पत्र के अनुबंध के पैरा 7(i) एवं 7(ii) और उसके नीचे दिए गए नोट को नीचे दिए अनुसार आशोधित किया जाए :

(i) मैनुअल टाइपराइटरों और पर्सनल कंप्युटरों दोनों पर आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षा के लिए अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की अधिकतम गति नियत की जाए ।

(ii) टाइप किए गए कुल शब्दों में 5% गलतियों पर ध्यान न दिया जाए और तत्पश्चात् अंतिम गति प्राप्त करने के लिए टाइप किए गए कुल शब्दों में से प्रत्येक गलती के लिए तदनुरूपी शब्दों को घटाया जाए ।

उदाहरण के लिए :-

10 मिनट की टंकण परीक्षा के लिए :-

टाइप किए गए कुल शब्दों में 5% गलतियों पर ध्यान न दिया जाए ।

टाइप किए गए कुल स्ट्रोक	:	1600
टाइप किए गए शब्द	:	1600/5=320
गलतियां	:	19
ध्यान न दी जाने वाली गलतियां	:	320 का 5% = 16
शेष गलतियां	:	19-16=3
टाइप किए गए नेट शब्दों को प्राप्त	:	320-(3x10)=290

फॉर्मूले के अनुसार : टाइप किए गए कुल शब्दों की सं. – (गलतियों की सं. x 10)

समय

प्रति मिनट गति 290/10 – 29

(iii) कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा आयोजित किए जाने पर यदि उम्मीदवार हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करने का विकल्प देता है तो टाइप किए गए मैटर की गलतियों को ठीक करने के लिए एडिटिंग टूल के इस्तेमाल की अनुमति न दी जाए । टंकण परीक्षा आयोजित करने से पहले इस फंक्शन को डिसेबल्ड कर दिया जाना चाहिए ।

(iv) पर्सनल कंप्यूटरों पर टंकण संबंधित कुशलता की जांच हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की गति से किए जाने पर प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार गलतियों को ठीक करने के लिए एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए परंतु इस स्थिति में 5% गलतियों पर ध्यान न देने का लाभ न प्रदान किया जाए ।

3. यह भी विनिश्चय किया गया है कि ऊपर यथा संशोधित प्रक्रिया इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होगी ।

(इससे पश्चिम मध्य रेलवे के दिनांक 22.07.2010 के पत्र सं.डब्ल्यूसीआर/का.पत्र न्यू/कंप्य/टाइपिंग टेस्ट का भी निपटान हो जाता है)

कृपया पावती दें ।

****

WESTERN RAILWAY

P.S.No.28/2011

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP 839/0 Vol.IV

Date: 22.02.2011

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Procedure for conducting typewriting test on computers.

A copy of Railway Board's letter No. E(NG) I/2004/CFP/8 [RBE No.19/2011] dated 4.2.2011 is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

(S. Kademani)
For General Manager(E)

Copy of Railway Board's letter No. E(NG) I/2004/CFP/8 [RBE No.19/2011] dated 4.2.2011 addressed to the General Manager, All Indian Railways and Others.

Sub: Procedure for conducting typewriting test on computers.

In terms of this Ministry's letter of even dated 04-7.2005, in case of promotion of an employee from Group 'D' (now placed in Group 'C' in Grade Pay Rs.1800) to Group 'C' in the ministerial cadre and promotion of Clerks as Sr.Clerks against LDCE/ Graduate quota, typewriting skills are required to be tested on Personal Computers (PCs) at the speed of 40 words per minute (w.p.m.) in English or 35 words per minute (w.p.m.) in Hindi with the stipulation that editing tool for correcting the mistakes in the typed matter may be allowed to function. It was also decided that in case of difficulty in conducting the test on computers, the existing procedure for conducting the typewriting test on typewriters at the speed of 30 w.p.m. in English and 25 w.p.m. in Hindi will remain in force.

2. Pursuant to the certain modifications carried out in the procedure for conducting type test for those candidates who are recruited directly from open market through RRBs and also a demand raised by one of the Railways, the need of adopting these modifications in conducting typing test for promotees, has

also been experienced necessary. Accordingly, the matter has been considered by the Board and it has been decided that para 7 (i) & 7 (ii) including the note given below it, of the annexure to Board's letter ibid, may be modified as under :-

(i) The minimum speed may be fixed at 30 w.p.m. in English and 25 w.p.m. in Hindi for the typing test to be conducted on both Manual typewriters and Personal Computers.

(ii) 5% mistakes of the total words typed may be ignored and thereafter for every mistake corresponding words may be deducted from the total words typed for arriving at final speed.

For example :-
For a typing test of 10 minutes :-

5% mistakes of total words typed are ignored.

Total strokes typed	:	1600
Words typed	:	1600/5=320
Mistakes	:	19
Ignorable mistakes	:	5% of 320 = 16
Remaining mistakes	:	19-16 = 3
Mistakes to be deducted for arriving at net words typed.	:	320-(3x10)=290

As per formula : $\frac{\text{No. of total words typed} - (\text{No. of mistakes X 10})}{\text{time}}$

Speed per minute	:	290/10 = 29

(iii) Use of editing tools for correcting the mistakes of the typed matter should not be permitted in case typing test is conducted on computer if the candidate opts to type at speed of 25 w.p.m. in Hindi and 30 w.p.m. in English. This function should be disabled before conducting typing test.

(iv) In case, typewriting skills are tested on Personal Computers (PCs) at the speed of 40 w.p.m. in English and 35 w.p.m. in Hindi, the use of editing tool for correcting the mistake may be permitted to function as per procedure in vogue but the benefit of ignorance of 5% mistakes will not be allowed.

3. It has also been decided that the procedure as revised above will be applicable from the date of issue of this letter.

(This also dispose of W.C. Railway's letter No.WCR/ka.HQ/Confd/Typing Test dated 22.07.2010)

Please acknowledge receipt.

****